राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3205/2024

1. सपना पत्नी श्री विक्रम सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, पुत्री 0 श्री जीतेन्द्र सिंह, निवासी पीथास, नागौर, राजस्थान।
2. जीतेन्द्र सिंह पुत्र श्री लिखमी दान, उम्र लगभग 52 वर्ष साल, निवासी पिथास, मंडोर, जोधपुर शहर (पूर्व),राजस्थान.
3. दयाल कंवर पत्नी श्री जीतेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 49 वर्ष साल, निवासी पीथास, नागौर, राजस्थान।
4. कपिल पुत्र श्री जीतेन्द्र सिंह, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी पीथास, नागौर, राजस्थान।
5. सिद्धार्थ चरण पुत्र श्री शुभकरण, उम्र लगभग 69 वर्ष साल, निवासी धर्मनारायण जी हत्था, पाओटा पोलो, उदयमंदिर, जोधपुर शहर (पूर्व), राजस्थान।
6. गौरव सिंह उर्फ निवेदन पुत्र श्री सिद्धार्थ चरण, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी धर्मनारायण जी हत्था, पाओटा पोलो, उदयमंदिर, जोधपुर शहर (पूर्व), राजस्थान।
7. पूजा पत्नी श्री गौरव सिंह उर्फ निवेदन, वृद्ध 28 वर्ष, निवासी धर्मनारायण जी हत्था, पाओटा पोलो, उदयमंदिर, जोधपुर शहर (पूर्व), राजस्थान।
8. निम्बेश कंवर पत्नी श्री सिद्धार्थ चरण, वृद्ध 62 वर्ष, निवासी धर्मनारायण जी हत्था, पाओटा पोलो, उदयमंदिर, जोधपुर शहर (पूर्व), राजस्थान।
9. दयाल राम जाट पुत्र श्री बक्शा राम, उम्र लगभग 38 वर्ष साल, निवासी पीथास, नागौर, राजस्थान
10. अभिषेक संधू पुत्र श्री भंवर सिंह, उम्र लगभग उम्र 35 वर्ष, निवासी ए-26, धर्मनारायण जी हत्था, पावटा पोलो, उदयमंदिर, जोधपुर शहर (पूर्व), राजस्थान।

----अपीलार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पी.पी. के माध्यम से
2. विक्रम सिंह पुत्र बृजराज सिंह, निवासी फूल बाग, मंडोर, जोधपुर.

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री सुनील पुरोहित

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री एच.एस. जोधा, पीपी

श्री रिपुदमन सिंह, आर/2 के लिए

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

19/09/2024

1. पुलिस स्टेशन मंडोर, जिला जोधपुर शहर (पूर्व) में दिनांक 22.12.2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 326/2023 को रद्द करने और आईपीसी की धारा 420, 406, 465, 466, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी परिणामी कार्यवाही की मांग की गई है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1 (सपना) और प्रतिवादी संख्या 2 (विक्रम सिंह) की शादी 28.04.2021 को हुई थी। वैवाहिक कलह के कारण याचिकाकर्ता-पत्नी ने प्रतिवादी-पति के खिलाफ 04.09.2021 को आईपीसी की धारा 498ए, 406 और 323 के तहत एफआईआर दर्ज कराई। प्रतिवादी नं. 2-पति के खिलाफ पहले ही उस एफआईआर में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

2.1. प्रतिशोध में, प्रतिवादी नं. 2-पति ने 28.08.2023 को याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 406, 384, 386, 506 और 120बी के तहत कथित अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर के परिणामस्वरूप एक नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट आई, जिसे 09.09.2023 को प्रस्तुत किया गया।

2.2. नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, प्रतिवादी पति ने 22.12.2023 को आईपीसी की धारा 420, 406, 465, 466, 467, 468, 471 और 120बी के तहत एक और एफआईआर दर्ज की, जिसमें आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता नंबर 1-सपना द्वारा प्रस्तुत विवाह प्रमाण पत्र जाली था। एफआईआर में दावा किया गया है कि विवाह प्रमाण पत्र में गलत तरीके से 20.12.2021 को विवाह की तारीख के रूप में दर्शाया गया है, जबकि वास्तविक तारीख 28.04.2021 है। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक झूठा हलफनामा और जाली हस्ताक्षर प्रस्तुत किए।

3. उपरोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और केस फाइल और एफआईआर का अवलोकन किया है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 2-पति द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, जिसका उद्देश्य केवल याचिकाकर्ता-पत्नी और उसके परिवार पर अनुचित दबाव डालना है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 (पत्नी) को प्रतिवादी-पति और उसके परिवार द्वारा क्रूरता और दहेज की मांग का सामना करना पड़ा, जिसके लिए उसने 04.09.2021 को आईपीसी की धारा 498ए के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी। उस मामले में प्रतिवादी पति के खिलाफ पहले ही आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

4.1. प्रतिशोध में, प्रतिवादी-पति ने पहले कुछ याचिकाकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर संख्या 47/2023 दर्ज कराई थी, लेकिन उस एफआईआर के परिणामस्वरूप नकारात्मक अंतिम रिपोर्ट आई।

4.2 अब, याचिकाकर्ताओं को परेशान करने और अपमानित करने के लिए, प्रतिवादी-पति ने पूरी तरह से झूठे आरोपों के आधार पर वर्तमान एफआईआर दर्ज कराई है।

4.3. इसलिए, वर्तमान एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आग्रह किया।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा पी.पी. दोनों ने याचिका का विरोध किया। उनका कहना है कि एक बार एफ.आई.आर. दर्ज हो जाने के बाद कानून अपना काम करेगा। उनका कहना है कि यदि कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है तो सक्षम न्यायालय के समक्ष उचित रिपोर्ट दायर की जाएगी तथा इस न्यायालय का कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

6. मैं लोक अभियोजक तथा शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से स्वयं को सहमत नहीं कर पा रहा हूं। कारण खोजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आइए देखें कैसे।

7. यह पता चला है कि विवाह प्रमाण पत्र पर विवाह की तिथि में कथित त्रुटि, जिसे जालसाजी आदि के रूप में आरोपित किया जा रहा है, जो एफ.आई.आर. का आधार है, को स्थायी लोक अदालत, जिला नागौर द्वारा पारित दिनांक 27.03.2024 के आदेश द्वारा पहले ही ठीक कर दिया गया है।

8. प्रमाण पत्र पर विवाह की तारीख को 28.04.2021 (वास्तविक विवाह तिथि) में संशोधित किया गया है, जो पहले की गलत तारीख यानी 20.12.2021 को प्रतिस्थापित करता है। इस प्रकार, प्रतिवादी नंबर 2-पति द्वारा उठाया गया मुद्दा अब उस सीमा तक जीवित नहीं है।

9. इसके अलावा, प्रतिवादी-पति ने अपनी एफआईआर में अपनी पत्नी के सभी परिवार के सदस्यों-सह-याचिकाकर्ताओं द्वारा जालसाजी का आरोप लगाया है। उनमें से 13 को बिना किसी भूमिका या किसी विशेष विवरण के अस्पष्ट और सर्वव्यापी आरोपों के आधार पर आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

10. आरोप याचिकाकर्ता नंबर 1-पत्नी और प्रतिवादी नंबर 2-पति के विवाह प्रमाण पत्र की धोखाधड़ी से तैयार करने से संबंधित है। प्रासंगिक रूप से, एफआईआर में इस बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं है कि कथित धोखाधड़ी कैसे की गई या याचिकाकर्ताओं ने क्या अवैध लाभ कमाया, खासकर जब विवाह स्वयं निर्विवाद है।

11. इन परिस्थितियों में, एफआईआर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के अलावा और कुछ नहीं है। आरोप स्पष्ट रूप से आरोपित अपराधों के आवश्यक तत्वों को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए एफआईआर न्यायिक जांच में टिक नहीं पाती है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

12. इसके अलावा, आक्षेपित एफआईआर के पंजीकरण से पहले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, घटनाओं के कालक्रम पर एक नज़र डालने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रतिवादी नंबर 2/पति के कहने पर दर्ज की गई एफआईआर केवल व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए प्रेरित है, जिसमें प्रथम दृष्टया या अन्यथा कोई भी सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है।

13. परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। पुलिस स्टेशन मंडोर, जिला जोधपुर शहर (पूर्व) में दिनांक 22.12.2023 को दर्ज एफआईआर संख्या 326/2023 और उससे उत्पन्न होने वाली अन्य सभी परिणामी कार्यवाहियाँ, आईपीसी की धारा 420, 406, 465, 466, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपराधों के लिए रद्द की जाती हैं।

14. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।